झारखण्ड सरकार

आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय, झारखण्ड मंत्रालय, कल्याण कॉम्लपेक्स मोराबादी, राँची।

अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं को संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं हेतु मुख्य परीक्षा/साक्षात्कार की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष–2025–26 हेतु आवेदन से सम्बन्धित

PR No.-356515

आवश्यक सूचना

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा संचालित **"मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना"** के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं को संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मुख्य परीक्षा/साक्षात्कार की तैयारी हेतु एकमुश्त रू0 1,00,000/–(एक लाख रू0) मात्र राशि की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निमित्त वित्तीय वर्ष–2025–26 में सिविल सेवा परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति छात्र/छात्राओं से आवेदन पत्र निम्न पात्रता के आधार पर आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन हेतु पात्रताः–

1. इस योजना अन्तर्गत झारखण्ड से इंटरमीडियट एवं स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति वर्ग के निवासी अभ्यर्थी पात्र होंगे।
2. इस योजना अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी सभी श्रोत से अधिकतम परिवारिक आय 2.50 लाख रू0 (दो लाख पचास हजार रू0) से अधिक न हो।
3. कोई भी अभ्यर्थी इस योजना का लाभ एक बार ही लेने के लिए पात्र होगा।
4. इस योजना अन्तर्गत केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित कोचिंग का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे।

आवेदन देने की अंतिम तिथिः–22.08.2025 समय–6:00 बजे अपराह्न तक (निर्धारित समय/तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं होगा)

आवेदन पत्र का विहित प्रपत्रः– अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के सुपात्र अभ्यर्थी आवेदन पत्र का विहित प्रपत्र Website:www.Jharkhand.gov.in एवं www.jstcdc.org.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

1. आवेदक द्वारा अपने आवेदन के साथ झारखण्ड के निवास प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण–पत्र, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत सिविल सेवा प्रारम्भिक परीक्षा का प्रवेश पत्र एवं प्रारम्भिक सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी प्रमाण की **स्व–अभिप्रमाणित** छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2. आवेदक द्वारा **आवासीय प्रमाण–पत्र** कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत पत्र संख्या–14/विविध–15–22/2019 का0 5752, दिनांक–19.07.2019 के अनुसार एवं **जाति प्रमाण–पत्र** कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक–14/जा0 नि0–03–13/2015 का0 1754, दिनांक–25.02.2019 के अनुसार होना चाहिए। संबंधित प्रमाण पत्र जिला स्थित अंचल के अंचलाधिकारी (CO) अथवा उच्चतर स्तर द्वारा निर्गत ऑन लाईन प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

नोटः– आवेदक Online आवासीय, जाति एवं आय–प्रमाण–पत्र ही संलग्न करेंगे अन्यथा आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जायेगा।

आवेदन जमा करने का स्थान–आवेदनकर्ता अपना आवेदन आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय, कल्याण कॉम्पलेक्स, द्वितीय तल, बलिहार रोड, मोराबादी, झारखण्ड, राँची–834008 में निबंधित/स्पीड पोस्ट डाक द्वारा अथवा कार्यालय कार्य अवधि में सीधे जमा कर सकते हैं।

आदिवासी कल्याण आयुक्त।